UPMZ010078872026

न्यायालय Addl. Distt. and Sess. Court No-1, Muzaffarnagar

पीठासीन अधिकारी– (Sri Vishnu Chandra Vaish), (उच्चतर न्यायिक सेवा) – UP06126

द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–3250 सन् 2026

जुहैब हसन खान पुत्र इफ्तेखार हसन खान,
निवासी म0नं0–118, कोटला, घंटाघर, तन्दूर वाली गली,
थाना देहली गेट, जिला मेरठ।

.....आवेदक/अभियुक्त।

प्रति

उत्तर प्रदेश राज्य

.....अभियोजन पक्ष।

अपराध संख्या–43 सन् 2025
धारा–318(4), 316(4), 338, 336(3),
340(2), 317(2), 3(5) बी0एन0एस0।
थाना–मन्सूरपुर, जिला–मुजफ्फरनगर।

दिनांकः–22.06.2026

1. आवेदक/अभियुक्त **जुहैब हसन खान पुत्र इफ्तेखार हसन खान** की ओर से द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र उपरोक्त के संबंध में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2. समर्थन में आवेदक/अभियुक्त की पैरोकार श्रीमती रुकसाना पत्नी इफ्तेखार हसन खान द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. संक्षेप में वादी मुकदमा वकार राना द्वारा संबंधित थाने पर दी गयी तहरीर के अनुसार कथानक इस प्रकार है कि उसने महलका मोटर्स प्राईवेट लिमिटेड के किया कार शोरूम स्थित ग्राम बेगराजपुर, मन्सूरपुर, थाना मन्सूरपुर, जिला मुजफ्फरनगर पर दिनांक 30.01.2025 को एक गाड़ी किया सैल्टोज बुक कर रखी थी, जिसकी कीमत अंकन 12,50,000/– रुपये थी। वादी ने उक्त कार की बुकिंग धनराशि के रूप में शोरूम के जनरल मैनेजर जुहेब हसन खान व उनके साथी कर्मचारी अरविन्द, आयुषि तथा दीपक कुमार को अंकन 2,00,000/– रुपये नकद दिये थे तथा अंकन 11,000/– रुपये ऑनलाइन

Digitally signed by VISHNU CHANDRA VAISH
Date: 2026.06.22 16:58:10 IST
Reason: SESSION BAIL
Location: ADJ COURT NO. 1, MZN

उनके बताये एकाउन्ट में जमा करवाये थे। उपरोक्त व्यक्तियों द्वारा वादी को बुकिंग धनराशि की रसीद भी जारी की गयी थी, जो प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। वादी को बाद में पता चला कि शोरूम के जनरल मैनेजर जुहेब हसन खान फरार है और उन्होंने अपने उपरोक्त साथियों व अन्य कर्मचारियों के साथ मिलकर बिना कम्पनी की जानकारी के वादी का सारा रुपया स्वयं हड़प लिया है। वादी ने यह भी उल्लेख किया कि उक्त जनरल मैनेजर जुहेब हसन खान व उनके साथी कर्मचारी अरविन्द, आयुषि तथा दीपक कुमार ने वादी के अलावा अन्य भोले–भाले लोगों को भी ठग लिया है। अतः उक्त व्यक्तियों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कर कठोर कानूनी कार्यवाही किये जाने की याचना की गयी।

4. आवेदक/अभियुक्त की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि आवेदक/अभियुक्त कतई निर्दोष है, उसने कोई अपराध नही किया है। आवेदक/अभियुक्त को वादी मुकदमा द्वारा थाना पुलिस मन्सूरपुर से साज कर रंजिशन घटना में शामिल किया गया है। आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध जिस प्रकार प्रथम सूचना रिपोर्ट में दर्शित किया गया है, वह कतई झूठ व फर्जी है। आवेदक/अभियुक्त के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट तथाकथित घटना के अत्यधिक विलम्ब से दर्ज करायी गयी है। विलम्ब का कोई स्पष्टीकरण भी प्रथम सूचना रिपोर्ट में दर्शित नही किया गया है। जिस कारण अभियोजन का मामला कतई संदिग्ध प्रतीत होता है। आवेदक/अभियुक्त ने कोई सोनेट गाड़ी की बुकिंग नहीं की है और ना ही दो लाख रूपये लिये है और ना ही कोई रसीद वादी मुकदमा को दी है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में में लगाये गये आरोप कतई झूठ व फर्जी है। आवेदक/अभियुक्त किया शोरूम में केवल ग्राहको को गाड़ी व फ्यूचर के बारे में जानकारी देता था और आवेदक/अभियुक्त को किया शोरूम के लेन–देन की कोई जानकारी किसी भी प्रकार नही थी। किया शोरूम में कथित स्टाप अभिषेक जैन के द्वारा ही रखा गया था और उसकी सैलरी अपोर्टमेंट लैटर और कार्य करने के सम्बन्ध में सभी जिम्मेदारी और अन्तिम निर्णय भी अभिषेक जैन का था और किया शोरूम के सभी एम्पलाई अभिषेक जैन के अधीन थे, ना कि आवेदक/अभियुक्त के। आवेदक/अभियुक्त द्वारा किया शोरूम से भिन्न कोई भी रसीद तैयार कर किसी व्यक्ति को नही दी गयी है और ना ही आवेदक/अभियुक्त द्वारा किसी भी व्यक्ति से रसीद देकर पैसा वसूल किया गया है, जैसा वादी मुकदमा द्वारा अपनी प्रथम सूचना रिपोर्ट में दर्शित किया गया है, कतई झूठ व फर्जी है और इस अमर का भी कोई साक्ष्य पत्रावली पर मौजूद नही है। आवेदक/अभियुक्त के द्वारा किया शोरूम की कोई भी रसीद या बिल बुक तैयार नही की गयी है, जैसा थाना पुलिस मन्सूरपुर बताती है, कतई झूठ व फर्जी है। आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध ऐसा कोई अपराध नही बनता है, जैसा प्रथम सूचना रिपोर्ट में दर्शित किया गया है। किया

शोरूम के मैनेजर अभिषेक जैन द्वारा लगातार लोगो से पैसे लेकर गाड़ी बुक की जा रही थी, किन्तु वादी मुकदमा द्वारा गाड़ियो की डिलेवरी लोगो को नही की गयी थी। इस बारे में आवेदक/अभियुक्त ने अभिषेक जैन को कई बार चेताया और उसकी अभिषेक जैन से कहा–सुनी हो गयी, जिस पर अभिषेक जैन ने आवेदक/अभियुक्त को धमकी दी कि अपना मुँह बंद रखना, नही तो तुझे ही इस मामले में फसा दूगां। वास्तविकता यह है कि आवेदक/अभियुक्त व पत्नी सुफिया अली व पुत्र मौ० हसन खान आयु 6 माह थाना–मन्सूरपुर आवेदक/अभियुक्त के घर मेरठ से पूछताछ के बहाने दिनांक–03.03.2025 समय करीब 11 बजे रात्रि को उठाकर लायी और थाना पुलिस मन्सूरपुर द्वारा आवेदक/अभियुक्त व उसकी पत्नी व बच्चे को अवैध हिरासत में रखा। आवेदक/अभियुक्त की माता रूखसाना द्वारा दिनांक–05.03.2025 को श्रीमान आई०जी० महोदय मेरठ जोन मेरठ, श्रीमान डी०आई०जी० महोदय सहारनपुर मण्डल सहारनपुर व माननीय मुख्यमंत्री महोदय उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ को पोर्टल व पुलिस के अन्य उच्चाधिकारियो को ई–मेल द्वारा सूचना दी गयी। जिसकी ई–मेल की छायाप्रति शपथपत्र के साथ संलग्न है। आवेदक/अभियुक्त को अवैध रूप से 17 दिन अवैध हिरासत में रखने के बाद थाना पुलिस मन्सूरपुर द्वारा फर्जी रूप से गिरफ्तारी दर्शायी गयी तथा अवैध हिरासत में रखने के दौरान आवेदक/अभियुक्त के परिवार वालो से घर का कीमती जेवर व सामान बिकवाकर 20 लाख रूपये मंगवाये और वही रकम आवेदक/अभियुक्त पर थाना पुलिस मन्सूरपुर द्वारा प्लांट कर दी गयी, जबकि थाना पुलिस मन्सूरपुर जैसा बताती है, कतई झूठ व फर्जी है। आवेदक/अभियुक्त के कब्जे से घटना से सम्बन्धित कोई भी रकम बरामद नही हुई। प्रस्तुत प्रकरण की तहरीर में वादी मुकदमा द्वारा अपराध सं0–33, सन 2025 की विवेचना के दौरान दी थी। उसी प्रकरण में इस प्रकरण को भी विवेचना में शामिल कर लिया गया था, लेकिन बादहू विधिक राय के आधार पर नाजायज दबाव बनाने के आशय से प्रथम मुकदमा पुलिस से साज करके दर्ज किया गया, जो कतई विधि विरूद्ध है। आवेदक/अभियुक्त को वादी मुकदमा द्वारा थाना पुलिस मन्सूरपुर से साज कर घटना में झूठा फसाया गया है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा किसी भी तरह का कोई अपराध नही किया गया है। अतः उसे जमानत पर रिहा किया जाए।

5. अभियोजन की ओर से उपस्थित विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत का विरोध किया गया तथा तर्क रखा गया कि, आवेदक/अभियुक्त के द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है। जमानत निरस्त करने की मांग की गयी।

6. आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुना गया तथा प्रपत्रों का अवलोकन किया गया।

7. प्रपत्रों के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्त पर अन्य सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी से किया सैल्टोज कार की बुकिंग के नाम पर 2,00,000/– रुपये नकद व 11,000/– रुपये ऑनलाइन प्राप्त करने, बुकिंग धनराशि की रसीद जारी करने के उपरान्त कम्पनी की जानकारी के बिना उक्त धनराशि को आपस में मिलकर हड़प लेने, वादी के साथ धोखाधड़ी व ठगी करने तथा अन्य भोले–भाले लोगों को भी इसी प्रकार ठगने का आरोप है। तलबिदा पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि पत्रावली पर कथित कार की बुकिंग की एवज में रुपया लेकर दी गयी रसीद संलग्न है, जिस पर कम्पनी पर्सन के तौर पर हरिओम का नाम अंकित है। प्रश्नगत प्रकरण में विवेचना पूर्ण हो चुकी है तथा आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है, जिस पर सक्षम न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञान लिया जा चुका है। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया अभियुक्त की आगे की निरुद्धावस्था विवेचना की आवश्यकता की दृष्टि से अपेक्षित नहीं रह जाती। अभियोजन की ओर से अभियुक्त की पूर्व किसी प्रकरण में कोई दोषसिद्धि नहीं बतायी गयी है। थाना मन्सूरपुर से संबंधित अन्य प्रकरण यथा मु0अ0सं0 47/2025 में अभियुक्त की जमानत जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा दिनांक 15.06.2026 को, मु0अ0सं0 40/2025 व 61/2025 में अभियुक्त की जमानत अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या–08, मु0नगर द्वारा दिनांक 07.05.2026 व 14.05.2026 को तथा मु0अ0सं0 48/2025 में अभियुक्त की जमानत अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (एस0सी0/एस0टी0 एक्ट), मु0नगर द्वारा दिनांक 16.05.2026 को स्वीकार की जा चुकी है। अभियुक्त दिनांक 20.03.2025 से विगत लगभग 01 वर्ष 03 माह से जिला कारागार में निरुद्ध है।

8. केस की प्रकृति, अपराध कारित करने में आवेदक/अभियुक्त की संलिप्तता/भूमिका तथा मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर न्यायालय का यह सुविचारित मत है कि आवेदक/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकृत किए जाने का पर्याप्त व युक्तियुक्त आधार मौजूद है। तद्नुसार द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकृत किए जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त **जुहैब हसन खान** की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। आवेदक/अभियुक्त को उसके द्वारा अंकन **1,00,000–1,00,000/–** (एक लाख रुपए – एक लाख रुपए) का व्यक्तिगत बंधपत्र व इसी धनराशि के दो विश्वसनीय प्रतिभू निष्पादित करने पर, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर निम्नलिखित शर्तों पर जमानत पर रिहा किया जाए–

1. आवेदक/अभियुक्त जमानत पर छूटने के बाद पुनः कोई अपराध कारित नहीं करेगा।
2. आवेदक/अभियुक्त के आधार कार्ड या स्थाई निवास प्रमाण पत्र की सत्य प्रति दाखिल की जायेगी।
3. आवेदक/अभियुक्त जमानत पर रिहा होने के बाद आरोप विरचित किये जाने के समय, साक्ष्य अभिलिखित किये जाने के समय व बी.एन.एस.एस. की धारा 351 के कथनों को अंकित किये जाने के समय कोई स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं करेगा तथा आरोप विरचित किये जाने के समय व बी.एन.एस.एस. की धारा 351 के कथनों के समय व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा तथा शेष अन्य तिथियों पर नियमित रूप से व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा और उनके बिना किसी यथोचित कारण के अनुपस्थित रहने पर विचारण न्यायालय उसके विरूद्व धारा 269 बी.एन.एस. के अंतर्गत कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र होगा।
4. आवेदक/अभियुक्त विचारण के शीघ्र निस्तारण में पूर्ण सहयोग करेगा।

उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर सक्षम न्यायालय, आवेदक/अभियुक्त की जमानत निरस्त किये जाने हेतु स्वतंत्र होगा।

(विष्णु चन्द्र वैश्य)
अपर सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट संख्या 1, मुजफ्फरनगर।

दिनांक–22.06.2026